पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण
PENSION FUND REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY

<u>परिपत्र</u>

परिपत्र सं. पीएफआरडीए/2024/16/पीडीईएस/01 **18 सितंबर 2024**

सेवा में,
सभी एनपीएस हितधारक

विषय: "एनपीएस वात्सल्य" योजना का विवरण

माननीय वित्त मंत्री द्वारा वित्तीय वर्ष 2024-25 के केंद्रीय बजट में अल्पवयस्कों के लिए "एनपीएस वात्सल्य" की घोषणा माता-पिता और अभिभावकों द्वारा योगदान के लिए एक योजना के रूप में की गई थी, जिसे वयस्कता प्राप्त होने पर एक सामान्य एनपीएस खाते में परिवर्तित किया जा सकेगा।

2. "एनपीएस वात्सल्य" योजना पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 2013 की धारा 12 (1) (a) और धारा 20 के अंतर्गत राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) के तहत शामिल होगी।

3. एनपीएस वात्सल्य योजना का विवरण इस परिपत्र के **अनुलग्नक – 1** पर है।

4. यह परिपत्र सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

सुमित कुमार

सुमित कुमार
(मुख्य महाप्रबंधक)

ई–500, टॉवर–ई, पांचवां तल, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, नौरोजी नगर, नई दिल्ली–110029
दूरभाष: 91–11–40717900, वेबसाइट: www.pfrda.org.in
E-500, Tower-E, Fifth Floor, World Trade Center, Nauroji Nagar, New Delhi-110029
Phone: 91-11-40717900, Website: www.pfrda.org.in

अनुलग्नक – 1

एनपीएस वात्सल्य योजना का विवरण

1. योजना और इसकी प्रयोज्यता

क. "एनपीएस वात्सल्य" योजना (इसके बाद "योजना" के तौर पर संदर्भित) पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 2013 की धारा 12 (1) (a) और धारा 20 के अंतर्गत राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) के तहत शामिल होगी।

ख. यह विशेष रूप से नाबालिगों (अल्पवयस्कों) के लिए एक अंशदायी पेंशन योजना होगी, जिसका उद्देश्य "विकसित भारत@2047" की दृष्टि से पेंशन युक्त समाज बनाना और बच्चों के सशक्तिकरण को प्रोत्साहित करना है।

ग. इस योजना का विनियमन पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) अधिनियम, 2013 के प्रावधानों, प्राधिकरण द्वारा जारी विनियमों और दिशानिर्देशों के अनुसार पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) द्वारा किया जाएगा।

घ. सभी अल्पवयस्क भारतीय नागरिक स्वैच्छिक आधार पर योजना में शामिल होने के लिए पात्र होंगे।

2. परिभाषाएँ

क. "खाता" अर्थात "एनपीएस वात्सल्य" योजना के अंतर्गत अल्पवयस्क का व्यक्तिगत पेंशन खाता, जो अभिभावक के माध्यम से खोला गया हो । यह राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) टियर -1 खाते की विशेषताओं से युक्त होगा।

ख. इस योजना के लिए "अभिदाता" अर्थात वह अल्पवयस्क है, जिसने योजना के अंतर्गत खाता खोला हो।

ग. "अभिभावक" अर्थात या तो अल्पवयस्क के माता-पिता या कानूनी अभिभावक होगा।

घ. "अल्पवयस्क" अर्थात वह व्यक्ति, जिसने अठारह वर्ष की आयु पूरी नहीं की हो।

3. शामिल होने के लिए पात्रता

क. कोई भी अल्पवयस्क भारतीय नागरिक, अठारह वर्ष की आयु प्राप्त करने तक इस योजना के अंतर्गत खाता खोलने के लिए पात्र है।

ख. पीएफआरडीए द्वारा समय-समय पर निर्धारित की जाने वाली कोई अन्य अपेक्षाएं।

4. योजना का परिचालन ढांचा

क. योजना के अंतर्गत खाता, प्राकृतिक/विधिक अभिभावक द्वारा अल्पवयस्क के नाम पर खोला जाएगा, जो एकमात्र लाभार्थी होगा।

ख. खाते को अभिभावक द्वारा अल्पवयस्क के अनन्य लाभ के लिए संचालित किया जाएगा जब तक कि वह

वयस्कता (18 वर्ष) की आयु प्राप्त नहीं कर लेता है।

ग. अभिभावक पर लागू होने वाले "अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी)" मानदंड समय-समय पर पीएफआरडीए द्वारा निर्धारित केवाईसी मानदंडों के अनुसार होंगे। न्यायालय द्वारा नियुक्त विधिक अभिभावक की दशा में, विधिक अभिभावक की नियुक्ति के संबंध में न्यायालय के आदेश की एक प्रति केवाईसी दस्तावेजों के साथ प्रस्तुत की जाएगी।

घ. खाता खोलने के लिए जन्म तिथि के प्रमाण के तौर पर (*अल्पवयस्क का जन्म प्रमाण पत्र, संबंधित राज्यों के उच्चतर माध्यमिक बोर्ड, आईसीएसई, सीबीएसई आदि द्वारा जारी स्कूल छोड़ने का प्रमाण पत्र / मार्कशीट और अल्पवयस्क का पासपोर्ट आदि*), और अल्पवयस्क के बैंक खाते का विवरण या अल्पवयस्क के साथ संयुक्त खाता आवश्यक है। भारतीय निवासी का खाता खोलने के लिए अल्पवयस्क के बैंक खाते या अल्पवयस्क के साथ संयुक्त बैंक खाते का विवरण अनिवार्य नहीं है, लेकिन यह 18 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर आंशिक आहरण या निकास के समय अनिवार्य होगा।

ङ. संबंधित सीआरए द्वारा अल्पवयस्क अभिदाता के नाम पर एक विशिष्ट पेंशन सेवानिवृत्ति खाता संख्या (प्रान) जारी की जाएगी।

च. 18 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर, अभिदाता का खाता चालू रहेगा और इसे एनपीएस-टियर 1 खाता- सर्व नागरिक मॉडल में स्वतः स्थानांतरित कर दिया जाएगा।

छ. 18 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर, वयस्कता प्राप्त करने से 3 महीने के भीतर अभिदाता का एक नया केवाईसी किया जाना चाहिए, जैसा कि पीएफआरडीए द्वारा समय-समय पर निर्दिष्ट किया जाए । नए केवाईसी जमा करने के बाद एनपीएस टियर -1 खाते में अंशदान की अनुमति दी जाएगी।

ज. वयस्कता प्राप्त करने पर एनपीएस-टीयर-। खाते में अंतरण पर, एनपीएस-टीयर-।-सर्व नागरिक मॉडल के अंतर्गत निकास मानदंडों सहित अन्य विशेषताएं और लाभ लागू होंगे।

5. खाते में अंशदान

योजना के अंतर्गत अंशदान अभिभावक अथवा अभिदाता द्वारा पीएफआरडीए द्वारा समय-समय पर यथा विनिर्दिष्ट विभिन्न प्रकार के अंशदान के माध्यम से किया जा सकता है। न्यूनतम अंशदान 1000 रुपये प्रति वर्ष है और अधिकतम अंशदान की कोई सीमा निर्धारित नहीं है। योजना के अंतर्गत नामांकन के लिए प्रारंभिक अंशादान 1000 रुपये है।

6. प्रभार और शुल्क

किसी भी समय खाते पर लगाए जाने वाले प्रभार और शुल्क एनपीएस-सर्व नागरिक मॉडल के अंतर्गत समय-समय पर पीएफआरडीए द्वारा निर्धारित शुल्क के समान होंगे।

7. खाते में अंशदान का निवेश

खाते में किए गए अंशदान का निवेश, जिसमें पेंशन निधि का चयन शामिल है, पीएफआरडीए द्वारा समय-समय पर निर्धारित एनपीएस-सर्व नागरिक मॉडल के अंतर्गत उपलब्ध विकल्पों के समान होगा ।

8. योजना के अंतर्गत वितरण चैनल

क. बैंक, इंडिया पोस्ट, स्टॉक ब्रोकिंग हाउस और पीएफआरडीए (उपस्थिति अस्तित्व) विनियम, 2018 के अंतर्गत उपस्थिति अस्तित्व (पीओपी) के रूप में पंजीकृत कोई भी अन्य इकाई सीधे या सेवानिवृत्ति सलाहकारों या पेंशन एजेंटों, यानी व्यापार प्रतिनिधि, बीमा एजेंट, म्यूचुअल फंड वितरक जो उनके द्वारा नियुक्त हैं, के माध्यम से योजना के अंतर्गत अभिदाताओं को नामांकित करने के लिए पात्र हैं।

ख. योजना के अंतर्गत नामांकन को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म (ईएनपीएस) के माध्यम से भी बढ़ाया जाएगा।

ग. पीएफआरडीए द्वारा समय-समय पर अनुमति प्राप्त कोई अन्य चैनल भी शामिल होंगे।

9. खाते से निकासी और प्रत्याहरण

क. अभिदाता की शिक्षा, विनिर्दिष्ट बीमारियों के उपचार, 75% से अधिक विकलांगता अथवा विनियमों के अंतर्गत अल्पवयस्क अभिदाता के हित में पीएफआरडीए द्वारा विनिर्दिष्ट कारणों के लिए, अभिभावक को खाता खोलने की तिथि से न्यूनतम 3 वर्ष के बाद अभिदाता के अंशदान के 25% तक आंशिक रूप से आहरण करने की अनुमति होगी। अभिदाताओं के 18 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक अधिकतम तीन बार। ऐसी सुविधा घोषणा के आधार पर उपलब्ध कराई जाएगी।

ख. अल्पवयस्क अभिदाता की मृत्यु होने पर, संपूर्ण संचित राशि का भुगतान अभिभावक को किया जाएगा।

ग. खाते में पंजीकृत अभिभावक की मृत्यु होने पर, पीएफआरडीए द्वारा समय-समय पर निर्दिष्ट किए गए केवाईसी दस्तावेज को जमा करके अल्पवयस्क अभिदाता की ओर से अन्य अभिभावक पंजीकृत किया जाएगा।

घ. माता-पिता दोनों की मृत्यु के मामले में, विधिक रूप से नियुक्त अभिभावक उस खाते में अंशदान करने के साथ या उसके बिना भी खाते को जारी रख सकते हैं, और अभिदाता द्वारा 18 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर, अभिदाता के पास योजना को जारी रखने या उससे निकासी का विकल्प होगा।

ङ. अभिदाता को 18 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर निकासी की अनुमति दी जाएगी। ऐसी निकासी पर, खाते में उपलब्ध संचित राशि का कम से कम अस्सी प्रतिशत वार्षिकी की खरीद के लिए उपयोग किया जाएगा और शेष राशि का एकमुश्त भुगतान किया जाएगा। यदि खाते में उपलब्ध संचित राशि दो लाख पचास हजार रुपये या उससे कम है, या सूचीबद्ध वार्षिकी सेवा प्रदाताओं ('एएसपी') से वार्षिकी की खरीद उपलब्ध नहीं है, तो अभिदाता के पास संपूर्ण संचित राशि को वापस लेने का विकल्प होगा।

च. योजना के अंतर्गत निकास और आहरण, पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत निकास और प्रत्याहरण) विनियम, 2015 यथासंशोधित के प्रावधानों द्वारा अभिशासित होगा।

CIRCULAR

Circular No. PFRDA/2024/16/PDES/01 **18th Sep 2024**

To

All NPS Stakeholders

Subject: NPS Vatsalya Scheme Details

"NPS Vatsalya" Scheme was announced by the Hon'ble Finance Minister in the Union Budget of FY 2024-25 as a plan for contribution by parents and guardians for minors to be converted into a normal NPS account on attainment of majority.

2. The "NPS Vatsalya" Scheme shall be covered under National Pension System (NPS) under section 12(1)(a) and section 20 of the Pension Fund Regulatory and Development Authority Act, 2013.

3. The Scheme Details of "NPS Vatsalya" Scheme is placed at **Annexure 1**.

4. This is issue with the approval of Competent Authority.

Sumit Kumar
(Chief General Manager)

Annexure 1

NPS Vatsalya Scheme Details

1. The Scheme and its applicability

a. The "NPS Vatsalya" scheme (hereinafter "the scheme") shall be covered under National Pension System (NPS) under section 12(1)(a) and section 20 of the Pension Fund Regulatory and Development Authority Act, 2013.
b. This shall be a contributory pension scheme exclusively for minors with an objective to create a pensioned society, emanating from the vision of"Viksit Bharat@2047", and to encourage empowerment of children.
c. The scheme shall be regulated by Pension Fund Regulatory and Development Authority (PFRDA) in accordance with the provision of PFRDA Act, 2013, regulations and guidelines, issued by the Authority.
d. All minors who are Citizens of India, shall be eligible to participate inthe scheme, on a voluntary basis.

2. Definitions

a. The "Account" shall mean an individual pension account of a minor opened through a guardian under the "NPS Vatsalya" scheme. It shall suitably draw from the features of National Pension System (NPS) Tier-1 Account.
b. The "Subscriber" for the purpose of this scheme shall mean a minorwho has opened the account under the scheme.
c. The "Guardian" shall mean either the parent of a minor or a legalguardian.
d. The "Minor" shall mean a person who has not reached the age ofeighteen years.

3. Eligibility of Joining

a. Any minor who is a Citizen of India is eligible for opening account underthe scheme, until attaining the age of eighteen years.
b. Any other requirements as may be laid down by the PFRDA from timeto time.

4. Operational Framework of the Scheme

a. The account shall be opened under the scheme by the natural/legal guardian in the name of the minor, who shall be the sole beneficiary.
b. The account shall be operated by the guardian for the exclusive benefit of the minor until attainment of age of majority (18years).
c. Know Your Customer (KYC) norms to be applicable to the guardian shall be in accordance with the KYC norms stipulated by the PFRDA from time to time. In case of court appointed legal guardian, a copy ofthe court order in respect of the appointment

of the Legal Guardian shall be submitted along with the KYC documents.

d. Date of Birth proof (*ie Birth certificate of the minor, School leaving certificate / Mark sheet issued by Higher Secondary Board of respective states, ICSE, CBSE etc and Passport of the minor etc*), and bank account details of the minor or joint account with minor are required for opening the account. The Bank account details of minor or joint accountwith minor is not mandatory for opening of account of Indian Resident, but it shall be mandatory at the time of partial withdrawal or exit on attainment of age of 18 years.
e. A unique Pension Retirement Account Number (PRAN) in the name of the minor subscriber shall be issued by the concerned CRA.
f. Upon attainment of 18 years of age, the account of the subscriber shallcontinue to be operational and will be seamlessly shifted into NPS-Tier1 Account- All Citizen Model.
g. Upon attainment of 18 years of age, a fresh KYC of the subscriber be carried out within 3 months from the attainment of majority as specifiedby PFRDA from time to time. The contribution shall be allowed into theNPS Tier-1 Account, post submission of fresh KYC.
h. On shifting into NPS-Tier I account upon attaining majority, the features, benefits including exit norms under the NPS-Tier-I -All CitizenModel shall be applicable.

5. Contributions into the account

a. Contributions under the scheme can be made by the guardian or the subscriber through various mode of contribution as specified by PFRDAfrom time to time. The minimum contribution is Rs 1000 per annuum and there shall be no limit on maximum contribution. The initial contribution for enrollment under the scheme is Rs 1000.

6. Charges and Fee

The charges and fee to be levied on the account at any time shall be same as the charges under NPS- All Citizen Model as stipulated by PFRDA from time totime.

7. Investment of the contributions into the account

The Investment of the contribution made into the account which include selection of pension fund shall be same as the choices available under NPS-All Citizen Model as stipulated by PFRDA from time to time.

8. Distribution Channel under the scheme

a. The banks, India Post, stock broking houses and any other entityregistered as a Point of Presence (POP) under PFRDA (Point of

Presence) Regulations, 2018 are eligible to enroll the subscribers under the scheme, either directly or through the means of Retirement Advisers or Pension agents, i.e. Business Correspondents, InsuranceAgents, mutual fund distributors engaged by them.

b. The enrolment under the scheme shall also be extended through online platform (eNPS).

c. Any other channel allowed by the PFRDA from time to time.

9. Exit and withdrawal from the account

a. For the purpose of education of subscriber, treatment of specified illnesses, disability more than 75%, or the reasons as may be specified by PFRDA in the interest of the minor subscriber under the regulations, the guardian shall be allowed to partially withdraw upto 25% of subscribers' contribution excluding returns thereon after minimum 3 years from the date of opening of account, for maximum three times tillthe subscriber attains 18 years of age. Such facility shall be made available on declaration basis.

b. In the case of death of the minor subscriber, the entire accumulatedpension wealth to be paid to the guardian.

c. In case of the death of the guardian registered under the account, another guardian to be registered on behalf of minor subscriber by submitting the KYC documents as specified by the PFRDA from time totime.

d. In case of death of both the parents, the legally appointed guardian may continue the account with or without making contributions to the account, and upon attainment of 18 years of age by the subscriber, the subscriber shall have an option to continue or exit from the scheme.

e. The subscriber shall be allowed to exit only upon attainment of age of 18 years. On such exit, at least eighty percentage of accumulated pension wealth available in the account shall be utilized for purchase ofannuity and remaining balance shall be paid in lump sum. In case, the accumulated pension wealth available in the account is equal to or less than a two lakh fifty thousand, or purchase of annuity is not available from empaneled Annuity Service Providers ('ASPs'), the subscriber shall have option to withdraw the entire accumulated pension wealth.

f. The exits and withdrawals under the scheme shall be governed by the provisions of the Pension Fund Regulatory and Development Authority(Exits and Withdrawals under the National Pensions System) Regulations, 2015 and amendments thereof.